



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी
तहसीलदार, नीमकाथाना

मुकाम नीमकाथाना
गै.मु.रास्ता (सिरोही)
सिरोही-मगेगा रास्ते से ढाणी मण्डवाली तक
किस्म मुकदमा नं. 131, 132 मुकाम नं. 34 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही नया इन्फोर्मेशनल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो की तामील में जारी हुए
14-03-2024	<p>पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से गै.मु.रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर समस्त खातेदारान को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.03.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (राजस्व अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) </p> <p>पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (गुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक मूअ/2024/1592 दिनांक 14.03.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम सिरोही पटवार मण्डल सिरोही तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2291/1, 2291/2, 2291/3, 2291/4, 2291/7, 2291/8, 2290/1, 2289/3, 2293/7 में गुजरने वाला रास्ता सिरोही से मगेगा रास्ते से ढाणी मण्डवाली का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी बलना बताया गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटो ग्राफ संलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं जाँच करने के पश्चात राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव</p>	

26/3/24


 उपखण्ड अधिकारी

व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहसीर जारी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।



Handwritten signature

(राजवीर सिंह यादव)
उपरवर्द्ध अधिकारी
नीमकाथाना
नीमकाथाना